न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2014 – आ0नि0

1. श्री लेहरू पिता रामलाल जाट निवासी आम्बा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा	बनाम	1. ग्राम पंचायत नाथडियास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन निरस्तीकरण विरूद्व आदेश भू आंवटन समिति तहसील रायपुर दिनांक 25.01.1983 पत्रावली सं. 199/83

उपस्थित :–
1. श्री मनोहर लाल बापना अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री कैलाष चन्द्र काष्ट अधिवक्ता – विपक्षी सं0 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.04.2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र कार्यवाही आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व नियम 1970 बाबत् निरस्तीकरण आवंटन आदेश दिनांक 25.01.1983 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा ग्राम आम्बा का खेडा में स्थित साबिक आराजी नं. 360 रकबा 20 बीघा भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास के नाम पर आंवटन बाबत एक प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 16.01.1983 को पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई और दिनांक 25.01.1983 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम आम्बा का खेडा की साबिक आराजी नं. 3 मी. से 15 बीघा भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास की बिना किसी आधार के गलत रूप से गलत खसरा नं. की भूमि आंवटित कर दी तथा दिनांक 17.8.1984 की जरिये इन्तकाल सं. 178 के ग्राम पंचायत नाथडियास को उक्त आराजियात बाबत गैर खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पंचायत नाथडियास को किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य हैं । साबिक आराजी सं. 3 मी. रकबा 15 बीघा के नवीन नम्बर 6 रकबा 1.35 हैक्टेयर व आराजी सं. 08 रकबा 0.89 हैक्टेयर कायम हुए । वर्तमान में ग्राम आम्बा का खेडा ग्राम पंचायत नारायण खेडा में चला गया हैं जिससे ग्राम

पंचायत नारायण खेडा ही उक्त भूमि को विकसित कर सकती हैं क्योंकि ग्राम पंचायत नाथडियास का उक्त आवंटित भूमि पर कोई अधिकार नही रहा है न ही कोई क्षैत्राधिकार ही रहा हैं । उक्त भूमि हाल आराजी सं. 6 व 8 रकबा 2.24 हैक्ट. भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास के उपयोग की नहीं हैं न ग्राम पंचायत नाथडियास ने आवंटन के बाद से ही उक्त भूमि को विकसित ही किया है और न अब ग्राम पंचायत नाथडियास उक्त भूमि का विकास ही कर पायेगी , इसलिये उक्त भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास के उपयोग की नहीं है। इसलिये ग्राम पंचायत नाथडियास को किया गया आवंटन निरस्त योग्य हैं । ग्राम पंचायत नारायण खेडा द्वारा ग्राम आम्बा का खेडी की उक्त आवंटित भूमि को ग्राम पंचायत नाथडियास से हटाकर ग्राम पंचायत नारायण खेडा के नाम पर दर्ज कराने बाबत् दिनांक 17.07.2013 को श्रीमान कलक्टर महोदय भीलवाडा को जरिये पत्र के माध्यम से निवेदन किया जिस पर कलक्टर महोदय ने तहसीलदार रायपुर को जाँच कर आवश्यक कार्यवाही बाबत् निर्देश प्रदान किया। तहसीलदार रायपुर द्वारा भी अपनी विस्तृत रिपोर्ट श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा को भिजवाई गई जिसमें भी उक्त भूमि को ग्राम पंचायत नारायण खेडा के नाम पर दर्ज करना उचित माना गया लेकिन इसके लिये ग्राम पंचायत नाथडियास तैयार नहीं है। अतः प्रार्थना हैं कि विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नाथडियास के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति रायपुर द्वारा दिनांक 25.01.1983 को किये गये ग्राम आम्बा का खेडा की साबिक आराजी सं. 3 मी. जिसके नये नम्बर 6 व 8 रकबा 2.24 हैक्ट0 कायम हुए को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त आराजियात को बिलानाम दर्ज कराई जाकर ग्राम पंचायत नारायण खेडा के नाम पर दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराया जावे ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.03.2014 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा भू–आवंटन संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। जिला अभिलेखालय भीलवाडा द्वारा इस न्यायालय में पत्रावली सं. 199/83 प्रेषित की गयी। विपक्षी सं. 01 की ओर से दिनांक 13.5.2015 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

विपक्षी सं. 02 की ओर से तहसीलदार रायपुर भूमि धारक ने दिनांक 5.6.2015 से जवाब प्रस्तुत कर ग्राम आम्बा का खेडा की हाल आराजी सं. 6 रकबा 1.3500 एवं आराजी नं. 8 रकबा 0.8900 कुल किता 2 रकबा 2.2400 हैक्ट. भूमि का

आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया हैं ।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 1 से लगायत 09 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी कृषक हैं एवं ग्राम आम्बा का खेडा का निवासी हैं। प्रार्थी के नाम ग्राम आम्बा का खेडा में खेती की जमीन हैं एवं उसका मतदाता पहचान पत्र भी आम्बा का खेडा का ही बना हुआ हैं। ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा ग्राम आम्बा का खेडा में स्थित साबिक आराजी नं. 360 रकबा 20 बीघा भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास के नाम पर आंवटन बाबत एक प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 16.01.1983 को पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई और दिनांक 25.01.1983 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम आम्बा का खेडा की साबिक आराजी नं. 3 मी. से 15 बीघा भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास की बिना किसी आधार के गलत रूप से गलत खसरा नं. की भूमि आंवटित कर दी तथा दिनांक 17.8.1984 की जरिये इन्तकाल सं. 178 के ग्राम पंचायत नाथडियास को उक्त आराजियात बाबत गैर खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पंचायत नाथडियास को किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य हैं । कानूनन भू आवंटन नियम 1970 के तहत ऐसे व्यक्ति को ही भूमि आवंटित की जा सकती हैं जो व्यक्ति भूमिहीन काश्तकार हो । यहां ग्राम पंचायत नाथडियास भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं हैं, इसलिए आवंटन की पात्रता भी नहीं रखते , इसलिए कानून के विपरीत किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य हैं। साबिक आराजी सं. 3 मी. रकबा 15 बीघा के नवीन नम्बर 6 रकबा 1.35 हैक्टेयर व आराजी सं. 08 रकबा 0.89 हैक्टेयर कायम हुए । वर्तमान में ग्राम आम्बा का खेडा ग्राम पंचायत नारायण खेडा में चला गया हैं जिससे ग्राम पंचायत नारायण खेडा ही उक्त भूमि को विकसित कर सकती हैं क्योंकि ग्राम पंचायत नाथडियास का उक्त आवंटित भूमि पर कोई अधिकार नही रहा है न ही कोई क्षैत्राधिकार ही रहा हैं । उक्त भूमि हाल आराजी सं. 6 व 8 रकबा 2.24 हैक्ट. भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास के उपयोग की नहीं हैं न ग्राम पंचायत नाथडियास ने आवंटन के बाद से ही उक्त भूमि को विकसित ही किया है और न अब ग्राम पंचायत नाथडियास उक्त भूमि का विकास ही कर पायेगी , इसलिये उक्त भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास के उपयोग की नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया अवैध आवंटन को निरस्त करने हेतु कोई मियाद नहीं होती हैं । इसलिये

ग्राम पंचायत नाथडियास को किया गया आवंटन निरस्त योग्य हैं । इसके समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2015(2) पेज सं. 790 से 795 पेश किया।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी कृषक नहीं हैं , न ही ग्राम आम्बा का खेडा का निवासी हैं । प्रार्थी का यह कथन पूर्णतया गलत हैं कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पंचायत नाथडियास को बिना किसी आधार के गलत रूप से गलत खसरा नम्बर की भूमि आंवटित कर दी हो, बल्कि विपक्षी ग्राम पंचायत को सम्पूर्ण जाँच एवं विधिक कार्यवाही के पश्चात् समिति की सर्वसम्मिति से निर्णय पारित कर भू आवंटन किया गया हैं, जो पूर्णतया सही हैं, जो निरस्त होने योग्य नहीं हैं । ग्राम पंचायत नाथडियास का उसको आंवटित भूमि पर पूर्ण अधिकार हैं । वर्तमान में उस पर कब्जा भी विपक्षी ग्राम पंचायत नाथडियास का ही हैं तथा उसका सम्पूर्ण रूप से विकास देखभाल भी ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा ही किया जा रहा हैं । प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र लगभग 31 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया हैं , जो अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया हैं, जिस विलम्ब का कोई कारण प्रार्थी ने नहीं बताया हैं । प्रार्थी ग्राम आम्बा का खेडा का निवासी हो, इस बाबत् प्रार्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की हैं। प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की किस प्रकार से अधिकारिता प्राप्त हैं अथवा ग्राम पंचायत नारायणखेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्रार्थी को अधिकृत किया हैं, ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं । प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की कतई अधिकारिता नहीं हैं । ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं । विपक्षी सं. 01 को आवंटितशुदा भूमि के निरस्तीकरण बाबत् एक अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा के यहां धन्ना पुत्र जवाहरमल जाट निवासी आम्बा का खेडा तहसील रायपुर द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसका अनवान धन्ना बनाम सरकार एवं ग्राम पंचायत नाथडियास था जिसके प्रकरण सं. 92/83 होकर, जिसका निर्णय दिनांक 12.08.1983 को हुआ हैं तथा उक्त आदेश से भी विपक्षी ग्राम पंचायत नाथडियास को हुआ आवंटन यथावत रखा गया हैं। ऐसी परिस्थिति में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त प्रतिपादित होता हैं तथा पुनः यह अपील उन्हीं आधारों पर स्थिर नही हो सकती है तथा प्रार्थी की अपील खारिज होने योग्य हैं । अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे तथा विपक्षी सं. 01 ग्राम पंचायत नाथडियास को किया गया आंवटन यथावत रखा जावे ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों को भलीभांति परीक्षण किया गया । ग्राम आम्बा का खेडा तहसील रायपुर के आ. नं. 3मी. रकबा 15 बीघा भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.01.1983 को आवंटन की गयी । ग्राम आम्बा का खेडा के आ.नं. 3मी. रकबा 19.02 बीघा बिलानाम में से 15 बीघा भूमि नामान्तरकरण सं. 178 दिनांक 17.08.1984 से ग्राम पंचायत नाथडियास के नाम पर गैर खातेदारी से दर्ज की गयी हैं। जमाबन्दी संवत् 2069–2072 में ग्राम आम्बा का खेडा के आ.नं. 6 रकबा 1.3500 हैक्ट. एवं आ.नं. 8 रकाब 0.8900 हैक्ट. भूमि विकास पंचायत नाथडियास गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। आ.नं. 6 व 8 के साबिक आ.नं. 3/2 मी. होना मिलान खसरा भू प्रबन्ध विभाग से स्पष्ट है। ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा आंवटित भूमि आ.नं. 3/2 में कृषि कार्य नियमित रूप से नहीं किया जाना खसरा गिरदावरी से प्रकट होता हैं ।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2 (xvii) "पंचायत राज संस्था' से ग्रामीण क्षैत्रों के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी गांव के या किसी खण्ड या जिले के स्तर पर स्थापित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत हैं। इस प्रकार विकास पंचायत नाथडियास पंचायती राज संस्था होकर कृषकों की श्रेणी में नहीं आती हैं। भू आवंटन नियम 1970 के नियम 2 की व्याख्या 1(iiiख) इस प्रकार है– " **भूमिहीन कृषक** " से तात्पर्य राजस्थान का ऐसा निवासी जो सद्‌भावी कृषक या कृषि श्रमिक है और भूमि को स्वयं जोतता हैं या जोतेगा और उसके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि , कृषि से संबंधित या कृषिजन्य व्यवसाय हो तथा ऐसा व्यक्ति राजस्थान राज्य में कहीं भी कोई कृषि जोत धारण नहीं करता हो या उसके द्वारा धारित और उसे आवंटित भूमि को सम्मिलित करने से नियम 12 के अधीन निर्धारित न्यूनतम क्षैत्रफल से कम हो – **परन्तु निम्नांकित वर्ग के व्यक्ति 'भूमिहीन कृषक' की श्रेणी में नहीं माने जायेगें** , अर्थात –

(iv) "**पंचायत**" से तात्पर्य राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 अधिनियम सं. 21 सन् 1953 के अधीन स्थापित पंचायत से हैं ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत नाथडियास भूमिहीन कृषक नहीं हैं । भूमिहीन व्यक्ति को ही कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत नाथडियास स्वायत्त शासन संस्था है, भूमिहीन व्यक्ति नहीं हैं एवं न ही कृषक हैं ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

इस प्रकार स्वायत्त शासन संस्था को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन करने का प्रावधान नहीं हैं । भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम आम्बा का खेडा के आ. नं. 3मी. रकबा 15 बीघा भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास को राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भू आवंटन) नियम 1970 के तहत भूमि का आवंटन विधि विरूद्व किया गया हैं, जो प्रारम्भ से ही शून्य हैं । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2015(2) पेज सं. 790 से 795 प्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पर लागू होता हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता हैं । अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्व आदेश भू आवंटन सलाहकार समिति मुकाम नाथडियास तहसील रायपुर का आवंटन आदेश दिनांक 25.01.1983 के संबंध में कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 अंतर्गत धारा 14(4) का स्वीकार किया जाता हैं । ग्राम आम्बा का खेडा तहसील रायपुर के साबिक आराजी नं. 3मी. रकबा 15 बीघा भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास के नाम पर किये गये आवंटन दिनांक 25.01.1983 को ग्राम पंचायत नाथडियास के स्वायत्त शासन संस्था होने से एवं भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं होने से उक्त भूमि आवंटन विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे । जिला अभिलेखालय भीलवाडा से प्राप्त भूमि आवंटन की मूल पत्रावली सं. 199/83 लौटायी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.4.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/04/17

(एल. आर. गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा